

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 370] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 1983/साद 30, 1905
No. 370] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 21, 1983 D ADRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a *separate*
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1983

सा. का. नि. 735(अ) :—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963
(1963 का 38) की धारा 4, उपधारा (1) पक्षन शक्तियों का प्रयोग करते हुए
न्याय शेष पत्तन के पहले न्यासी मंडल में अपर सचिव (पत्तन), नौवहन और
परिवहन मंत्रालय के स्थान पर संयुक्त सचिव (पत्तन), नौवहन और परिवहन
(पत्तन पक्ष) को न्यासी नियुक्त करती है तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 437(अ) दिनांक 31 मई, 1982 में एन. निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 3 के आगे “अपर सचिव (पत्तन)” के स्थान पर “संयुक्त सचिव (पत्तन)” रहेंगे ।

[फा. सं. पी. डब्ल्यू/पीटीबी-13/82]

विनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1983

G.S.R. 735(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Joint Secretary (Ports), Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) as a Trustee on the First Board of Trustees for the Nhava Sheva Port vice Additional Secretary (Ports), Ministry of Shipping and Transport and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 437 (E), dated the 31st May, 1982, namely :—

In the said notification, against Serial Number 3, for the entry “Additional Secretary (Ports)”, the entry “Joint Secretary (Ports)”, shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-13/82]

D. K. JAIN, Jt. Secy.